(301)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश,ग्वालियर

प्रकरण कमांक — दो / 2012 निगरानी — 835 II / 12

मुस0 चेन्टीबाई पुत्री मुलायमसिंह
निवासी हरपालपुर,तहसील—नौगॉव
जिला- छतरपुर —— आवेदक

विरुद्ध

1— कुलदीपसिंह तनय स्व0 देवेन्द्रसिंह
ठाकुर निवासी ग्राम— नाउ पहाडिया,
तहसील —नौगॉव जिला—छतरपुर म.प्र.
2— मध्यप्रदेश शासन— अनावेदकगण

नायबतहसीलदार, नौगॉव द्वारा प्र0क0 13 / अ—12 / 2011—12 में पारित आदेश दिनांक 13—02—2012 के विरुद्ध पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा—50 म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959.

महोदय,

आवेदक निम्नलिखित आधारों पर पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है:—

1—यह कि, अधीनस्थ न्यायालयों के विवादित आदेश तथा सीमांकन की कार्यवाही अवैध,अनियमित तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होकर निरस्त किये जाने योग्य है.

2— यह कि, भूमि सर्वे कमांक 349 ग्राम— नाउपहाडिया के 1/2 भगी की आवेदक भूमिस्वामी तथा आधिपत्यधारी है.उक्त भूमि में आवेदक का अत्यन्त पुराना मकान बना है. जिसमे वह निवास करती है तथा बाकी भाग पर आवेदक का निस्तार तथा खेती है. बाकी 1/2 भाग के स्वामी राघवेन्द्र आदि है.

3— यह कि, आवेदक के भाग से लगे हुये भूमि सर्वे कमांक 306,307 एव 308 अनावेदक के है जिसमें अनावेदक अवैध रूप से कॉलोनी हेतु भूखण्ड विकय कर रहा है.

4— यह कि, आवेदक की भूमि को हडपने के उद्देश्य से अनावेदक ने तहसील न्यायालय में सीमाकंन आवेदन प्रस्तुत किया उक्त आवेदन पर राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को सूचना दिये बिना सीमाकंन की कार्यवाही की गयी . आवेदक के सरहदी कृषक होंते हूए भी उसे कोई सूचना नही दी गयी. तथाकथित सीमांकन से आवेदक की भूमि प्रभावित होती है.

5— यह कि, राजस्व निरीक्षक द्वारा किये गये तथाकथित सीमांकन के प्रतिवेदन तथा पंचनामें का अवलोकन किये बिना सीमाकंन की कार्यवाही की पुष्टि करने में अधीनस्थ

शाखा प्रभारी (रा...
कार्यालय महा...

301

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :–निगरानी–835–दो / 2012 जिला–छतरपुर

मुस. चिन्टीबाई विरूद्ध कुलदीप सिंह व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों या अभिभाषकों के हस्ताक्षर
12–03–2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से श्री मुकेश बेलापुरकर अभिभाषक उपस्थित । 3. यह निगरानी नायब तहसीलदार नौगांव, जिला–छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 13 / अ–12 / 2011–12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 13–02–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। 4. म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है। 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 08–05–2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये। (आर.के. जैन) 12/3/19 सदस्य	